2023/163

20/6
25/7

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेशी स्टेज

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

TDR से रिपोर्ट हेतु ~~[illegible]~~ 22-8-23

19.9.23 TDR से मौका रिपोर्ट ~~[illegible]~~ प्राप्त [illegible]

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
251 (A)(1)	138/23	08/06/23		

अनवान

श्री पार्वती W/O महेन्द्र कुमार सेन श्री राजस्थान सरकार जरिये TDR

निवासी बिजौलियाँ कलाँ निवासी

R.P.D.

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / बवयूनाब

श्री रामफूल धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

पार्वती .... बनाम .... T D R

किस्म मुकदमा – 251 (A) .... नम्बर 138 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/ /2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 20/06/2023 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
20/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बाद तामील प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 18/7/23 को पेश हो।	
18/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 22.8.23 को पेश हो।	
22/8/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/9/23 को वास्ते मौका R. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
19/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 5/10/23 को पेश हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

पार्वती बनाम TDR

किस्म मुकदमा – 251(A) नम्बर 138/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/06/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 20/06/2023 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
20/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बाद तामील प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 18/7/23 को पेश हो।	
18/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 22.8.23 को पेश हो।	
22/8/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/9/23 को वास्ते मौका रि. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
19/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 5/10/23 को पेश हो।	

5/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे जाँचकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17/10/23 को पेश हो।
17/10/2023	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/11/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
21/11/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12/12/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
12/12/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 04/1/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
04/01/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 4/1/24 उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 138/2023 **दायर तारीख 08.06.2023**

अनवान

पार्वती देवी पत्नि महेन्द्र कुमार सैन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री रामफुल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. पैरोकार सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :04/01/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीया के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नं. 274/156 रकबा 5–00 बीघा भूमि मे आने जाने के लिये विपक्षी की ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा स्थित खसरा संख्या 156 रकबा 24–09 बिस्वां में से होकर प्रार्थीया की आराजी में आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीयां एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात हैं परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीया को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु व ट्रेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीया को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थीया के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। प्रार्थीया विपक्षी की उक्त आराजी पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2023/1423 दिनांक 21.09.2023 में अंकित किया कि मौजा ग्राम केशुविलास स्थित आराजी नं. 274/156 रकबा 5–00 बीघा भूमि पार्वती देवी पत्नी महेन्द्र कुमार सेन निवासी बिजौलियां के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। मौके पर रेकार्ड नक्शा अनुसार 156 आराजी नं0 तीन टुकडो में स्थित होकर कुल रकबा 24.09 बीघा किस्म बंजड 17.08 एवं बारानी प्रथम 7.01 बीघा होकर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार टुकडा नं. 1 का क्षैत्रफल 5.11 बीघा टुकड़ा नं. 2 का क्षैत्रफल 5.13 बीघा एवं टुकड़ा नं. 03 का क्षैत्रफल 13.05 बीघा बनता है। प्रार्थीया का आराजी नं. 274/156 टुकडा नं0 3 के अटैच हैं। प्रार्थीया की आराजी नं0 में आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने पर 02 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती हैं। इसके पश्चात् प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 157 में मिलता है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ता हैं जहां वर्तमान में बिजौलियां– शक्करगढ सड़क निकली हुई हैं। प्रार्थीया की आराजी पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

ग्राम केशुविलास की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 156 रकबा 24.09 बीघा में से 0.02 बीघा (0.0162 है0) भूमि की डी0एल0सी0 दर 52664/– रूपये प्रति बीघा 5267/– रूपये का दुगुना 10534/– रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया।

उक्त प्रस्तावित रास्ता आराजी नं0 156 रकबा 24.09 बीघा में से 0.02 बीघा (0.0162 है0) भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीया को स्वयं के खाते की भूमि मौजा ग्राम केशुविलास स्थित आराजी नं. 274/156 रकबा 5–00 बीघा भूमि में आने जाने के लिए आराजी नं0 156 रकबा 24.09 बीघा में से 0.02 बीघा (0.0162 है0) भूमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी डी0एल0सी0 दर 52664/– रूपये प्रति बीघा की दर से मालियत 5267/– रूपये का दुगुना 10534/– रूपये बनते है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 04/01/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)